

विनियम, 2014

प्ररूप क

(विनियम 2 देखिए)

आवेदक द्वारा जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

स्वतः प्रकटन

उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित जैविक संसाधन का सामान्य नाम:

वैज्ञानिक नाम:

व्यापार किए जाने वाले पादप या प्राणी या उनके भाग:

पहुंच का विशिष्ट प्रयोजन:

अवस्थिति/स्रोत जहां से उपाप्त किए गए हैं*	मात्रा किलो ग्राम में	दर प्रति ईकाई	राज्य जैविक विविधता बोर्ड	भावी क्रेता/उपयोगकर्ता (यदि ज्ञात हों)

*स्थानीय निकाय/बीएमसी, यदि पहले ही पहचान कर ली गई है तो सूची संलग्न करें

वचनबंध

- मैंने एबीएस मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा मैं जैविक संसाधनों को लागू सुसंगत विधिक उपबंधों का पालन करने का वचन देता हूँ।
- मैं कथित प्रयोजन में कोई परिवर्तन करने से पूर्व एनबीए/एसबीबी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने का वचन देता हूँ।
- मैं, एनबीए/एसबीबी को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने/दिखाने का, जब भी अपेक्षा हो, वचन देता हूँ।
- मैं यह और घोषणा करता हूँ कि प्ररूप में दी गई सूचना सत्य और सही है तथा मैं किसी असत्य/गलत जानकारी और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

हस्ताक्षर

व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम

व्यापारी/कंपनी/विनिर्माता के पूरे पते के साथ फोन नं. और ई मेल का पता

स्थान

तारीख